सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 109/2018 दायर दिनाँक 06.04.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथसिंह पुत्र बक्षसिंह, उम्र–60साल, जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, पंचायत पावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीशप्रसाद पुत्र रामुराम, उम्र–55साल, 2. भँवरलाल पुत्र रामुराम, उम्र–35साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. गनी मोहम्मद पुत्र अलीबक्ष, उम्र–40साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. दरियावकँवर पत्नी देवीसिंह, उम्र–55साल, जाति–राजपूत, निवासी–बड़ाबरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. रघुनाथ पुत्र तिलोकाराम, उम्र–42साल, जाति–जाट, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. घींसू पुत्र बुधा, उम्र–50साल, जाति–तेली, निवासी–मूण्डवा, हाल,निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. नायब तहसीलदार छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 21.05.2018

शरहद मौजा छोटी खाटू तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 1268 रकबा 10 बीघा के घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 07.05.2018 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–थेबडी में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कोर्ट कैम्प दिनाँक 21.05.2018 को अपने पत्र क्रमांक एसपी–1 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नहीं की है। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 15.05.2018 को स्वीकार कर हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा छोटी खाटू तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 1268 रकबा 10 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 15.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 15.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–थेबडी

निर्णय आज दिनाँक **21.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–थेबडी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
07.05.2018	न्याय आपके द्वार,2018 कोर्ट कैम्प--**खरवालिया** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। लोक अदालत की भावना व आपसी समझाईश के कारण से पक्षकारान्, वाद में प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद खाटूखुर्द के वादग्रस्त खसरा नम्बर 1268 रकबा 10.00 बीघा भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है। अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है। **<u>आदेश</u>** दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा शरहद खाटूखुर्द में स्थित खेत खसरा संख्या 1268 रकबा 10.00 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के मध्य वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को, उनके हिस्सों में आने-जाने हेतु सामुहिक रास्ते की भूमि प्रस्तावित करते हुए विभाजन प्रस्ताव दौ प्रतियों में तैयार कर पेश किया जावे। डिक्री जारी हो। (उत्तमसिंह शेखावत) सहायक कलक्टर डीडवाना कोर्ट कैम्प-खरवालिया सहायक कलक्टर डीडवाना निर्णय, आज दिनाँक **07.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया। (उत्तमसिंह शेखावत) सहायक कलक्टर डीडवाना कोर्ट कैम्प-खरवालिया सहायक कलक्टर डीडवाना	

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**
न्याय आपके द्वार, 2018 : कोर्ट कैम्प

राजस्व वाद संख्याः 109/2018 | दायर दिनाँक 06.04.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथसिंह पुत्र बक्षसिंह, उम्र—60साल, जाति—राजपूत, निवासी—खुड़ी, पंचायत पावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीशप्रसाद पुत्र रामुराम, उम्र—55साल, 2. भँवरलाल पुत्र रामुराम, उम्र—35साल, समस्त,जाति—जाट, निवासी—छोटीखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. गनी मोहम्मद पुत्र अलीबक्ष, उम्र—40साल, जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. दरियावकँवर पत्नी देवीसिंह, उम्र—55साल, जाति—राजपूत, निवासी—बड़ाबरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. रघुनाथ पुत्र तिलोकाराम, उम्र—42साल, जाति—जाट, निवासी—बिंचावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. घींसू पुत्र बुधा, उम्र—50साल, जाति—तेली, निवासी—मूण्डवा, हाल,निवासी—छोटीखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. नायब तहसीलदार छोटी खाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, बंटवारा रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 07.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **पक्षकारान्** उपस्थित ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा शरहद खाटूखुर्द में स्थित खेत खसरा संख्या 1268 रकबा 10.00 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के मध्य बाईमीट्स एण्ड

सहायक क...
डीडवाना
(लगातार)

Scanned by CamScanner

बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को, उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु सामुहिक रास्ते की भूमि प्रस्तावित करते हुए विभाजन प्रस्ताव दौ प्रतियों में तैयार कर पेश किया जावे।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत........ ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरवालिया

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह	–		स्टाम्प अर्जी		
सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरवालिया

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**
न्याय आपके द्वार, 2018 : कोर्ट कैम्प

राजस्व वाद संख्याः **109/2018** दायर दिनाँक **06.04.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथसिंह पुत्र बक्षसिंह, उम्र—60साल, जाति—राजपूत, निवासी—खुड़ी, पंचायत पावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीशप्रसाद पुत्र रामुराम, उम्र—55साल, 2. भँवरलाल पुत्र रामुराम, उम्र—35साल, समस्त,जाति—जाट, निवासी—छोटीखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. गनी मोहम्मद पुत्र अलीबक्ष, उम्र—40साल, जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. दरियावकँवर पत्नी देवीसिंह, उम्र—55साल, जाति—राजपूत, निवासी—बड़ाबरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. रघुनाथ पुत्र तिलोकाराम, उम्र—42साल, जाति—जाट, निवासी—बिंचावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. घींसू पुत्र बुधा, उम्र—50साल, जाति—तेली, निवासी—मूण्डवा, हाल,निवासी—छोटीखाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. नायब तहसीलदार छोटी खाटू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, बंटवारा रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **21.05.2018**

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **पक्षकारान् उपस्थित** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा छोटी खाटू तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 1268 रकबा 10 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 15.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 15.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............
........–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–थेबडी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सवूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–थेबडी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–109–2018 / रीडर / 2018 / 550 दिनाँक 22.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, बंटवारा रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथसिंह पुत्र बक्षसिंह, उम्र–60साल, जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, पंचायत पावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीशप्रसाद पुत्र रामुराम, उम्र–55साल, जाति–जाट, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–थेबडी

Scanned by CamScanner